उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1,
संख्या-25/2016/1057/92-1-16-77आरईएस/2004,
लखनऊ: दिनांक: 24 मई: 2016

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के समूह-'क' एवं 'ख' के कुल 34 अभियन्ताओं की कैलेण्डर वर्ष 2016 में 60 वर्ष की अधिवर्षिता आयु पूर्ण करने के उपरान्त राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त होने विषयक आदेश/अधिसूचना कार्यालय ज्ञाप संख्या-5195/2015/92-1-2015-77आरईएस/ 2004, दिनांक 31-12-2015 निर्गत की गयी है। उक्त आदेश के क्रमांक-7 पर उल्लिखित श्री शरीफ अहमद सिद्दीकी, सहायक अभियंता की वास्तविक जन्म तिथि 01-07-1956 तथा सेवानिवृत्ति की तिथि 30-06-2016 के स्थान पर त्रुटिवश उनकी जन्म तिथि 07-01-1956 एवं सेवानिवृत्ति की तिथि 31-01-2016 अंकित हो गयी है। उक्त त्रुटि को संशोधित करते हुए श्री शरीफ अहमद सिद्दीकी, सहायक अभियंता की जन्म तिथि 07-01-1956 तथा सेवानिवृत्ति की तिथि 31-01-2016 के स्थान पर जन्म तिथि 01-07-1956 एवं सेवानिवृत्ति की तिथि 30-06-2016 पढ़ी जाय।

उक्त कार्यालय-ज्ञाप संख्या-5195/2015/92-1-2015-77आरईएस/ 2004, दिनांक 31-12-2015 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

2- उपर्युक्त के अतिरिक्त श्री सत्येन्द्र बहादुर सिंह, सहायक अभियंता, मुख्यालय, जिनकी जन्म तिथि 08-12-1956 है, वे अपनी 60 वर्ष की अधिवर्षिता आयु पूर्ण करने के उपरान्त दिनांक 31-12-2016 के अपरान्ह में राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो जायेंगे।

महेश कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव।

संख्या-25/2016/1057/92-1-16-2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपर्युक्त अभियंताओं के विरूद्ध यदि किसी प्रकार की अनुशासनिक कार्यवाही प्रचलित हो, तो उनके पूर्ण पेंशन/ग्रेच्युटी का भुगतान, अनुशासनिक कार्यवाही समाप्त हो जाने के उपरान्त ही किया जाय।
3- मुख्य अभियंता (पूर्वी/पश्चिमी क्षेत्र), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6- सम्बन्धित सहायक अभियन्तागण द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिशिर कुमार यादव)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in